5

संख्या–/201/ /V– 2/105(आ0)13टी0सी0/2019

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 04 सितम्बर, 2019

विषय–एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेंत्रों में नर्सिग होम/क्लीनिक/ओ0पी0डी0/पैथोलोजी लैब/डाईग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल कैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1152/V-2/2019–105(आ0) 2013टी0सी0, दिनांक 27.08.2019 के द्वारा मूल अधिनियम उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 यथासंशोधित उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 2013 की धारा–57 के प्राविधानान्तर्गत एकल समाधान योजना (One time settlement) के तहत शमन योजना लागू की गयी है।

2– सम्प्रति उक्त शासनादेश संख्या–1152/V-2/2019–105(आ0) 2013टी0सी0, दिनांक 27.08.2019 के प्रस्तर–3(4) में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैः–

"ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत आवासीय ले–आउट के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं होंगे।"

3– इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.08.2019 के प्रस्तर–3(4) में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधान में "नहीं" शब्द को विलोपित किया जाता है। अतः, अब ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत आवासीय ले–आउट के अन्तर्गत भी अनुमन्य होगें। शासनादेश संख्या–1152/V-2/2019–105(आ0) 2013टी0सी0, दिनांक 27.08.2019 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत रहेगें।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव

संख्या–1201/V– 2/105(आ0)13टी0सी0/2019–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5– प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

6– आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।

7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

9– सचिव, मसूरी देहरादून/हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।

10– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।